आतदार नहीं है यदि किसी प्रकार का
हक वादगत भूमि में है तो पृथक से
घोषणा का वाद दायर कर सकती है।
अपने प्रार्थना पत्र, वादपत्र का अवलोकन
किया। बहस पर मनन किया। हस्तगत वाद
खाता किसानान का वाद है। प्रार्थिया रिकॉर्डेड
खातेदार नहीं है। यदि पैतृक भूमि के सम्बन्ध
में प्रार्थिया का कोई दावा विद्यमान है
तो प्रार्थिया पृथक से घोषणा का वाद
दायर कर सकती है अतः प्रार्थना पत्र O-1 R-10
CPC खारिज किया जाकर पत्रावली वास्ते
तलबी जोब प्रतिवादीगण (जरिए रजिस्टर्ड
सम्मन) आइन्दा दिनांक 27/04/26 को पेश हो।

5/6

पत्रावली पेश हुई। वादीगण व अभिभाषक वादीगण
व स्वयं वादीगण अनुपस्थित। आवाजे लगवायी
गई। हाजिर नहीं। अनुपस्थिति दर्ज की जाती
है। पत्रावली अदम हाजरी। अदम पैरवी में
खारिज की जाती है। प्रकरण नंबर से कम हो
पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील
तकमील दाखिल दफ्तर हो।